(A4)

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ I.A.S.

प्रकरण संख्या – 91/2019 (अपील)

GCMS No. 2019/00280

श्रीमति प्रेम कंवर पत्नि स्व. मदन सिंह शक्तावत, जाति राजपूत निवासी जगपुरा तह. लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

––अपीलाण्ट

बनाम

सरकार जर्ये क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा कोटा (राज0)

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 20.01.2017 मि0नं0 131/2015 न्यायालय सहा0 वन संरक्षक वन मण्डल कोटा कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री लौकेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शिरीष गौत्तम, सह अभिभाषक अपीलान्ट
3. श्री बृजराज सिंह चौहान, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः–07.09.2021

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम खेड़ा जगपुरा की ख0नं0 245 व 248 की रकबा 1.3 हे0, वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 146/2018 दर्ज कर उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा को निर्देशित किया कि विवादित भूमि वर्तमान में वन भूमि है, परन्तु नोटिफिकेशन में सीमा के अन्दर होने से वन भूमि मानी गई है, जिससे सही वस्तुस्थिति ज्ञात होने उपरान्त राजस्व एवं सर्वेयर वन विभाग ज्वांट सर्वे कराने के साथ साथ टोटल स्टेशनर की रिपोर्ट के साथ यदि वन भूमि पर अतिक्रमण होना पाया जाता है तो प्रकरण पुनः प्रेषित करें ।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 15.11.2019 को पेश की गई है कि अपीलार्थी अपीलान्ट के विरूद्व न्यायालय सहायक वन संरक्षक वन मण्डल कोटा ने अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए ग्राम नाका जगपुरा में खसरा नंबर 245, 248, की 1.30 हे0 वन भूमि पर कब्जा मानते हुए आदेश पारित किया गया है जो पूर्णतः विधि विरूद्व एवं निरस्तनीय है । अपीलान्ट उक्त जमीन पर पूर्व से बहुल लम्बे समय से काबिज है, उक्त जमीन वन भूमि नहीं है, खेती की आराज़ी है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है । अपीलान्ट के ससुर रामसिंह पुत्र ओंकार सिंह के लिये पटवारी द्वारा इस भूमि को ट्रेस पास भी किया गया है । प्रार्थीया भूमिहीन है, इस भूमि पर लगातार फसल करते आ रहे है, लेकिन पटवारी द्वारा 1994 से टीप करना बंद कर दिया गया है । इसलिये रिकार्ड दर्ज नहीं है । अतः आदेश राजस्व विभाग जयपुर 7 (10) दिनांक 24.5.1971 को आदेशानुसार रेगूलाईज का आदेश भी जारी हुआ है । मिलान क्षैत्रफल खसरा नम्बर 273 से 293 46 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 293 से 240, 241, 243, 244, 245, 248 बनाये गये है । भूमि वर्तमान में प्लांटेशन में नहीं है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा ये भूमि सम्वत 1987 में राजस्व भूमि होने से दस्तावेज प्रस्तुत किये है । बाद में सम्वत 2016 में काबिल काश्त होने एवं स्वयं के ससुर रामसिंह का कब्जा काश्त आज तक चला आ रहा है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वन विभाग को निर्देशित किया जावें कि भविष्य में अपीलांट को परेशान न किया जाये, जबरन भूमि में से निष्कासित करने का प्रयास न किया जायें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट उक्त जमीन पर पूर्व से बहुल लम्बे समय से काबिज है, उक्त जमीन वन भूमि नहीं है, खेती की आराजी है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, जो कि प्राकृतिक न्याय के विरूद्व है । अपीलान्ट के ससुर रामसिंह पुत्र ओंकार सिंह के लिये पटवारी द्वाराइस भूमि को ट्रेस पास भी किया गया है । प्रार्थीया भूमिहीन है, इस भूमि पर लगातार फसल करते आ रहे है, लेकिन पटवारी द्वारा 1994 से टीप करना बंद कर दिया गया है । इसलिये रिकार्ड दर्ज नहीं है । अतः आदेश राजस्व विभाग जयपुर 7 (10) दिनांक 24.5.1971 को आदेशानुसार रेगूलाईज का आदेश भी जारी हुआ है । मिलान क्षैत्रफल खसरा नम्बर 273 से 293 46 बीघा 6 बिस्वा खसरा नम्बर 293 से 240, 241, 243, 244, 245, 248 बनाये गये है । भूमि वर्तमान में प्लांटेशन में नहीं है । इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा ये भूमि सम्वत 1987 में राजस्व भूमि होने से दस्तावेज प्रस्तुत किये है । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि वन विभाग को निर्देशित किया जावें कि भविष्य में अपीलांट को परेशान न किया जाये, जबरन भूमि में से निष्कासित करने का प्रयास न किया जायें ।

5. राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.1.2019 से उक्त विवादित भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा को निर्देशित किया कि विवादित भूमि वर्तमान में वन भूमि है, परन्तु नोटिफिकेशन में सीमा के अन्दर होने वन भूमि मानी गई है, जिससे सही वस्तुस्थिति ज्ञात होने उपरान्त राजस्व एवं सर्वेयर वन विभाग ज्वॉइट सर्वे कराने के साथ साथ टोटल स्टेशनर की रिपोर्ट के साथ यदि वन भूमि पर अतिक्रमण होना पाया जाता है तो प्रकरण पुनः प्रेषित करने बाबत आदेश पारित किया है, उक्त आदेश की इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का कोई औचित्य नहीं है । चूंकि विवादित भूमि में वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा ज्वॉईट सर्वे किया जाना है, यदि अपीलांट को कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश करना है तो वन क्षैत्रीय वन अधिकारी के पास पेश करें । अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया । न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.1.2019 से मात्र उक्त विवादित भूमि की स्थिति स्पष्ट नहीं होने से क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा को निर्देशित किया कि विवादित भूमि की वर्तमान में वन भूमि है, परन्तु नोटिफिकेशन में सीमा के अन्दर होने वन भूमि मानी गई है, जिससे सही वस्तुस्थिति ज्ञात होने उपरान्त राजस्व एवं सर्वेयर वन विभाग ज्वॉइट सर्वे कराने के साथ साथ टोटल स्टेशनर की रिपोर्ट के साथ यदि वन भूमि पर अतिक्रमण होना पाया जाता है तो प्रकरण पुनः प्रेषित करने बावत आदेश पारित किया है, उक्त आदेश में अपीलांट की बेदखली अथवा जुर्माना आदि नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपीलांट का अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.1.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना करना कोई औचित्यपूर्ण नहीं लगता है । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मानते है, ऐसी स्थिति में अपील सारहीन होने से खारिज योग्य पाते है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

(6)

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.1.2019 को निरस्त करने का कोई औचित्यपूर्ण कारण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से आदेश दिनांक 30.1.2019 यथावत रखा जाता है ।

8. निर्णय आज दिनांक 07.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा